पत्रांक 2ब०/जला०–01–03/2017 4645 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

राज्य में लागू नई वित्तीय प्रणाली CFMS Module द्वारा राशि के आवंटन/हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों के फलस्वरूप वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप विभागीय राज्यादेश सं०– 24, दिनांक– 20.06.2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

(i) कंडिका– 11 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल के स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग स्थापित किया जाता है।

(ii) उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि को प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर परिषद्, अरवल के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

2. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

02.09.19

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–03/2017 4645 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 3/9/19

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, अरवल/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.09.19

सरकार के विशेष सचिव।

Y.K

पत्रांक–2ब०/जला०–01–03/2017 24 /न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–20.6.19

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय" योजनान्तर्गत नगर परिषद्, अरवल के वार्ड सं०– 1,6,7 एवं 16 को छोड़कर शेष 21 वार्डों में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹849.853 लाख (आठ करोड़ उनचास लाख पचासी हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर परिषद्, अरवल को वित्तीय वर्ष 2016–2017 एवं 2017–18 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद में आवंटित की गई राशि की 30 प्रतिशत कर्णाकित/उपलब्ध राशि के समतुल्य राशि राज्य योजना मद से ₹298.91101 लाख (दो करोड़ अनठानवे लाख एकानवे हजार एक सौ एक रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की निकासी की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" प्रारंभ किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 निर्गत किया गया है।

2. विभागीय संकल्प के कंडिका– 04 अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के रणनीति निम्नवत है :–

(i) इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की सघन एवं निरंतर बसें घरों के लिए पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित सतही जल/भूगर्भीय जल का उपयोग करके योजनाएँ बनायी जाएगी। लगभग 15–20 प्रतिशत क्षमता Overhead Tank के माध्यम से सृजित की जाएगी एवं शेष क्षमता के लिए Direct Pumping से आपूर्ति करने का प्रावधान किया जाएगा।

(ii) ऐसी बसावटें, जो शहरी क्षेत्रों के किनारे पर अलग से स्थित है, उनमें छोटी विकेन्द्रित योजनाऐं ली जाएगी, जिसमें बोरिंग कर समरसेबुल पम्प के माध्यम से Direct Pumping किया जाएगा।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा मॉडल परियोजना तैयार करके, सक्षम तकनीकी स्वीकृति के उपरांत, नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी। नगर निकायों द्वारा उनके पास उपलब्ध निधि से वार्ड के अंदर या अंतरवार्ड महत्व की छोटी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

(iv) इस क्रम में शहरी स्थानीय निकायें, पूर्व से गाड़ें गये टयूबवेल, जिनका जीर्णोद्धार करना हो या क्षमता विकसित करनी है, उसके लिए भी कार्य ले सकेंगे।

(v) छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय–समय पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(vi) योजना का क्रियान्वयन 'E-tendering' के माध्यम से ही किया जायेगा।

3. विभागीय संकल्प के कंडिका– 05 (i) के अनुसार नगर निकायों को "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के अंतर्गत निम्नांकित स्त्रोतों से निधि प्राप्त होगी :–

(i) 14वें वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों का पूर्णतया हिस्सा)

(ii) पंचम राज्य वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों को पूर्णतया हिस्सा)

(iii) हर घर नल जल निश्चय योजना अन्तर्गत उपर्युक्त क्रमांक– (i) और (ii) के योग के समतुल्य राशि, राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से स्थानीय नगर निकायों को दी जाएगी।

4. नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु संकल्प के प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा गुणवत्ता प्रभावित एवं गुणवत्ता अप्रभावित 250, 500, 1000 एवं 1500 घरों में नल का जल पहुँचाने हेतु कुल 08 मॉडल प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक– 05, दिनांक– 10.01.2017 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राक्कलन अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित है। राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 09 जिले यथा– पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगुसराय एवं खगड़िया जिलों के नगर निकाय गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र हैं। इन नगर निकायों में आयरन रिमुभल प्लांट के साथ मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। मॉडल प्राक्कलन की स्थिति निम्नवत है :–

क्र० सं०	परिवारों की संख्या	गुणवत्ता अप्रभावित मॉडल प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि	राज्य के 09 गुणवत्ता प्रभावित जिले के मॉडल प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि
1	*2*	*3*	*4*
1.	250	20,21,000.00	23,40,100.00
2.	500	38,92,800.00	45,29,100.00
3.	1000	89,57,800.00	1,01,79,800.00
4.	1500	1,48,44,300.00	1,67,43,700.00

5. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत निर्बाध जलापूर्ति हेतु छोटे Overhead Water Tank का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹5.43400 लाख है। उक्त Overhead Water Tank का मॉडल प्राक्कलन विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जा चुका है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक– 753, दिनांक– 07.02.2018 द्वारा सभी नगर निकायों को दी जा चुकी है।

6. चूँकि नगर पंचायतों में सामान्यतः एक वार्ड में 500 परिवार तथा नगर परिषद् में 1000 परिवार होते हैं इसलिए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की अनुशंसा क्रमशः 500 एवं 1000 परिवारों को आधार मानकर की जा रही है। इसमें नगर पंचायतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे 500 परिवारों के लिए एक मॉडल का चयन करें या 250 परिवारों के लिए दो मॉडल प्राक्कलन का चयन करें। इसी प्रकार नगर परिषदों में 1000 परिवारों के लिए 500 के दो या 250 के चार या 500 के एक और 250 के दो मॉडल का चयन करें। मॉडल प्राक्कलन का चयन भूमि की उपलब्धता, वार्ड का आकार एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर किया जायेगा।

7. कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा मंतव्य दिया गया है कि बुडको द्वारा वार्ड सं०– 1 में निर्माणाधीन जलापूर्ति योजना से वार्ड सं०– 2, 3 एवं 11 में भी जलापूर्ति की जा सकती है, परन्तु वह एक बुस्टर के रूप में होगी, बशर्ते कि NH-98 को 13 मीटर की लम्बाई में काटा जाय। उक्त OHT का समुचित उपयोग करने हेतु यह आवश्यक है कि NH-98 (पटना–औरंगाबाद मार्ग) में Trenchless विकल्प के तहत इसे उनके द्वारा अनुशंसित वार्ड सं०– 2, 3 एवं 11 के Distribution System में जोड़ा जाय, ताकि उक्त 3 वार्डों में समुचित ढंग से जलापूर्ति किया जा सके। इस संबंध में बुडको को अलग से आवश्यक निदेश दिया जायेगा।

8. दिनांक– 01.02.2019 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर परिषद्, अरवल के 24 वार्डों में नगर निकाय द्वारा एवं वार्ड सं०– 01 में जलापूर्ति कार्य बुडको द्वारा किया जाएगा।

9. नगर परिषद्, अरवल में कुल 25 वार्ड है। वार्ड सं०– 01 में जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल के पत्रांक– 158, दिनांक–

10.02.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वार्ड सं०– 6, 7 एवं 16 में घरों की सं०– 360, 371 एवं 350 है, जिसमें पाईप लाईन Extention कर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की गई बोरिंग से पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। उक्त के आलोक में नगर परिषद्, अरवल के वार्ड सं०– 01, 06, 07 एवं 16 को छोड़कर शेष 21 वार्डों में अवस्थित 8555 घरों में नल का जल उपलब्ध कराने के लिए कुल 25 योजनाओं, जिसकी तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹714.00300 लाख है, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद की राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। पुनः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल के पत्रांक– 188, दिनांक– 17.02.2018 द्वारा उक्त 21 वार्डों में छोटे Overhead Water Tank के निर्माण हेतु कुल ₹135.85 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद की राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल द्वारा 21 वार्डों में स्थित 8555 घरों में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु राशि ₹849.853 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद की राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

10. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल के उक्त अनुरोध के आलोक में नगर परिषद्, अरवल के 25 वार्डों में से 21 वार्डों में अवस्थित हर घर में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹849.853 लाख (आठ करोड़ उनचास लाख पचासी हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर निकाय को वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–2018 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत कर्णाकित/उपलब्ध राशि के समतुल्य राशि राज्य योजना मद से स्तंभ– 8 के अनुरूप ₹298.91101 लाख (दो करोड़ अनठानवे लाख एकानवे हजार एक सौ एक रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की निकासी की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	योजना से लाभान्वित होने वाले घरों की संख्या	तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम् राज्य वित्त आयोग की 30% उपलब्ध राशि	वित्तीय वर्ष 2017–18 में 14वें वित्त आयोग के प्रथम तथा द्वितीय किस्त का 30% एवं पंचम् राज्य वित्त आयोग के प्रथम किस्त का 30% राशि	पेयजल निश्चय योजना हेतु नगर निकाय मद की कुल उपलब्ध राशि (5+6)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यांश मद से तत्काल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर परिषद्, अरवल	नगर परिषद्, अरवल के वार्ड सं०– 1,6,7 एवं 16 को छोड़कर शेष 21 वार्डों में शहरी पाईप जलापूर्ति योजना।	8555	849.853	181.35358	117.55743	298.91101	298.91101

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹298.91101 लाख (दो करोड़ अनठानवे लाख एकानवे हजार एक सौ एक रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

11. उक्त स्वीकृत राशि ₹298.91101 लाख (दो करोड़ अनठानवे लाख एकानवे हजार एक सौ एक रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

12. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

13. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

14. योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

15. उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹298.91101 लाख (दो करोड़ अनठानवे लाख एकानवे हजार एक सौ एक रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215– जलापूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष 01– जल पूर्ति–लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – उप शीर्ष 0102– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48- 2215017890102,** विषय शीर्ष 0102. 31. 05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण से की जाएगी।

16. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–

(i) योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद (सम्प्रति बुडको) द्वारा तैयार किये गये एवं अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका भी निर्गत किया जा

चुका है। उक्त प्राक्कलन एवं संशोधित मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक– 123, दिनांक– 11.01.2017 द्वारा सभी नगर निकायों एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों को दिया जा चुका है। नगर निकाय द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(ii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) नगर निकाय द्वारा योजना के कार्यान्वयन में विभागीय पत्रांक– 9032, दिनांक– 06.12.2016 एवं विभागीय पत्रांक– 3256, दिनांक– 16.05.2017 के आलोक में बुडको से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

(v) ऐसे नगर निकाय जहाँ जलापूर्ति हेतु विशिष्ट प्रकार की समस्या यथा– पथरीला इलाका, जल स्त्रोत में कठिनाई इत्यादि हो, वैसे नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए स्वीकृत राशि में अनुमान्य सीमा तक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(vi) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(viii) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(ix) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत निर्वाध जलापूर्ति हेतु Overhead Water Tank का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना में आवश्यकता के अनुरूप Overhead Water Tank का प्रावधान किया जाएगा।

17. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

18. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

19. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

20. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

21. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला० 01–03/2017 के पृष्ठ सं०– ...36.../टि० पर दिनांक– 19·06·2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 37..... /टि० पर दिनांक– 19·06·2019 को प्राप्त है ।

22. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

23. जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जायेगा।

24. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, अरवल/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20·6·19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–03/2017 24 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–20·6/19

प्रतिलिपि:– प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जिला पदाधिकारी, अरवल/प्रबंध निदेशक, बुडको/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20·6·19

सरकार के विशेष सचिव।

आना·